कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सूरजपूर(छ.गू.)

Phone No. - 07749-223750, Email- Surajpur. Election@@gov.in

 100	ापन	* *
 275	64.4	

क्र. / ९५८ - / निर्वा.पर्य. / लॉक.स.निर्वा. / 2024

सुरजपुर, दिनांक 16 /02 / 2024

प्रति.

सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख जिला-सरजपर (छ.ग.)

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत सम्पत्ति विरुपण विषय :--की जानकारी एवं प्रमाण पत्र प्रेषित करने बावत्

--00-

विषयांतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोकसभा निर्वाचन, 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। अतएव लोकसभा निर्वाचन, 2024 की घोषणा के 24 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक / 437 / 6 / 1 / ECI/ INST/ FUNCT/ MCC दिनांक 18.01.2023 द्वारा दिये गर्ये निवैशानुसार शासकीय सम्पत्ति पर विरुपण को हटाने की कार्यवाही करते हुए जानकारी एवं संलग्न प्रपन्न में प्रमाण-पन्न इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ५ जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

सूरजपुर, दिनांक 16 /03/2024

पु.क. / ९१<mark>% |</mark> / निर्वा.पर्य. / लोंक.स.निर्वा. / 2024

प्रतिलिपि:--मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ५ जिला–सूरजपुर (छ०ग०)

कार्यालय जिला-सूरजपु	रु (छ.ग.)
—::प्रमाण पत्र::—	

प्रमाणित किया जाता है कि लोकसभा निवाचन, 2024 की घोषणा के 24 घंटें के अंदर इस कार्यालय एवं इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों और उनके परिसरों जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर / स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिगस, बैनर, झंडें, या किसी अन्य रुप में विरुपण आदि को हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक/437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC दिनांक 18.01.2023 द्वारा दिये गयें निर्देशानुसार किसी भी प्रकार की विरुपण हटाने की कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक	हस्ताक्षार	
	जिला अधिकारी का नाम	
	कार्यालय का नाम	